

छठी अनुसूची
[धारा 138(ii) देखिए]

शीर्ष सं०	उपशीर्ष सं०	माल का वर्णन	विशेष उत्पाद शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—			5
(1)	शीर्ष सं० 25.02, उपशीर्ष सं० 2502.21, 2502.30, 2502.40, 2502.50 और 2502.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(2)	शीर्ष सं० 33.04, उपशीर्ष सं० 3304.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(3)	शीर्ष सं० 33.05, उपशीर्ष सं० 3305.99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(4)	शीर्ष सं० 33.07, उपशीर्ष सं० 3307.10, 3307.20, 3307.39 और 3307.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(5)	शीर्ष सं० 43.01, उपशीर्ष सं० 4301.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		10
(6)	शीर्ष सं० 89.03, उपशीर्ष सं० 8903.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(7)	शीर्ष सं० 89.07, उपशीर्ष सं० 8907.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(8)	शीर्ष सं० 93.02, उपशीर्ष सं० 9302.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(9)	शीर्ष सं० 93.03, उपशीर्ष सं० 9303.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(10)	शीर्ष सं० 93.04, उपशीर्ष सं० 9304.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		15
(11)	शीर्ष सं० 93.05, उपशीर्ष सं० 9305.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(12)	शीर्ष सं० 93.06, उपशीर्ष सं० 9306.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(13)	शीर्ष सं० 93.07, उपशीर्ष सं० 9307.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		
(14)	शीर्ष सं० 96.05, उपशीर्ष सं० 9605.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;		